सप्तदश बिहार विधान सभा

चतुर्दश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-20.03.2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	डा0 संजीव कुमार, स०वि०स० श्री उमाकान्त सिंह, स०वि०स० श्री हरिभूषण ठाकुर "बचोल", स०वि०स० श्री राणा रणधीर, स०वि०स० श्री अजय कुमार सिंह, स०वि०स० सुश्री श्रेयसी सिंह, स०वि०स० श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, स०वि०स०	"आजादी के बाद देश में सामाजिक विषमताओं को दूर करने के उद्देश्य से आरक्षण का लाभ समाज के उन वर्गों को दिया गया था जो सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे । आवश्यकता को देखते हुए सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों को EWS श्रेणी के तहत आरक्षण दिया गया, लेकिन अन्य आरक्षित श्रेणियों की तरह EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली नौकरी आदि में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान अभी तक नहीं किया गया है । जिस कारण EWS श्रेणी में काफी अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों में आवेदन से वंचित हो रहे हैं । अतः ऐसे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।"	सामान्य प्रशासन

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	**श्री ललित कुमार यादव, स०वि०स०** **श्री समीर कुमार महासेठ, स०वि०स०** **श्री मुकेश कुमार रौशन, स०वि०स०** **श्री रामवृक्ष सदा, स०वि०स०**	'' राज्य के पटना शहर में बेशकीमती 11.86 एकड़ भूमि गर्दनीबाग में 'बिहार वित्त सेवा निर्माण समिति' को सरकार द्वारा दे दिया गया है । समिति एवं जिला प्रशासन द्वारा आनन-फानन में पूरे भूखंड की चहारदीवारी कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है । बिहार वित्त सेवा निर्माण समिति को कही अन्य जगह पर भूखंड दिया जा सकता है । उल्लेखनीय है कि गर्दनीबाग में आवंटित भूखंड की घेराबंदी होने से एक हजार परिवार का मोहल्ला धीराचक जो की सौ वर्षों से इसी भूखंड से रास्ते का उपयोग कर रहे थे, अब पूर्णरूपेण से बंद हो जायेगा । जिससे हजारों परिवार आपातकालीन सेवा यथा अग्निशामक वाहन, एम्बुलेंस इत्यादि की सेवा से वंचित हो जायेंगे । अतः बिहार वित्त सेवा निर्माण समिति को अन्य भूखंड देने एवं मोहल्ला वासियों को पुराना रास्ता या चालीस फिट चौड़ा रास्ता देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं।''	नगर विकास एवं आवास

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-12/25- 180 /वि०स०, पटना, दिनांक- 19 मार्च, 2025 ई०।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 19.03.2025
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-12/25- 180 /वि०स०, पटना, दिनांक- 19 मार्च, 2025 ई०।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 19.03.2025
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-12/25- 180 /वि०स०, पटना, दिनांक- 19 मार्च, 2025 ई०।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / **सामान्य प्रशासन विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 19.03.2025
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-12/25- 180 /वि०स०, पटना, दिनांक- 19 मार्च, 2025 ई०।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 19.03.2025
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

उद्धितभाकु
19.03.2025